न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R-2055-III/14

1. ग्यासी पुत्र प्यारेलाल लखेरा
2. लखन पुत्र रतनलाल लखेरा
3. हजारी पुत्र रतनलाल लखेरा निवासी ग्राम झगदुली तहसील राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) –– आवेदकगण

विरूद्ध

बिहारी पुत्र प्यारेलाल लखेरा निवासी ग्राम सीलौन हालनिवास सलैया तहसीरल राजनगर जिला छतरपुर (म.प्र.) –– अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/2012–13/ अपील में पारित आदेश दिनांक 09.06.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, ग्राम सीलौन की नामान्तरण पजी क्रमांक 1 आदेश दिनांक 12.02.1996 से विवादित भूमि का बटवारा उपभपक्षों की सहमति के आधार पर किया गया था। जिसकी विधिवत् जानकारी अनावेदक को आदेश दिनांक से थी, किन्तु उसके द्वारा उक्त आदेश की अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नही की गयी थी। कयोंकि वह उक्त बटवारा कार्यवाही से पूर्ण सन्तुष्ट था।

2. यहकि, अनावेदक द्वारा अधिक समय वाद लगभग 17, 18 वर्ष बाद उक्त बटवारा आदेश के विरूद्व प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जो प्रकरण क्रमांक 44/2012–13 पर पंजीबद्व की जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गयी चूकि उक्त अपील स्पष्टतः अवधि वाह्य थी ऐसी स्थिति में आवेदकगण की ओर से अनावेदक के धारा 5 के आवेदन पत्र का विधिवत् जबाव प्रस्तुत किया गया था साथ ही साथ खण्डन में शपथपत्र दिया गया था जिसमें बताया गया था कि अनावेदक को नामान्तरण पंजी पर हुये बटवारा आदेश की तद् समय से ही जानकारी थी। ओर प्रत्येक पक्ष अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कास्त करते आ रहे है। और उनके द्वारा समय–समय पर शासन

(20)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2055-तीन/2014 जिला- छतरपुर

ग्यासी आदि विरूद्ध बिहारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 44/2012-13/अपील में पारित आदेश दिनांक 09-06-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 07-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

2.1.19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

(आर.के. जैन) 2.1.19
सदस्य